Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9815619715
Email:
azadvaani65@gmail.com

Azad वाणी
NEWS • VIEWS • ANALYSIS
RNI No. PBBIL/26/A0779

Thu - 09 April - 2026 | Year - 01 | Issue - 03 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

सबरीमाला केस: आस्था और अंधविश्वास पर फैसला देने का अधिकार अदालत को

नई दिल्ली, 9 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके पास यह तय करने का अधिकार है कि किसी धर्म में कौन-सी प्रथा अंधविश्वास के दायरे में आती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब मामला मौलिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हो, तो न्यायपालिका अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई है, जिसमें कहा गया था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत ऐसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकती।केंद्र का मानना है कि जज कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं, इसलिए उनके द्वारा धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करना उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अगुवाई में नौ जजों की संवैधानिक पीठ धार्मिक स्थलों, जिनमें केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भी शामिल है, में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई कर रही है।केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के सामने सवाल उठाया कि अदालत कैसे यह निर्धारित कर सकती है कि कौन-सी प्रथा अंधविश्वास है। उन्होंने कहा, "अगर यह मान भी लिया जाए कि कोई प्रथा अंधविश्वास है, तब भी इस पर फैसला करना अदालत का काम नहीं बल्कि विधायिका का है।" संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर कानून बनाना विधायिका की जिम्मेदारी है।इसके साथ ही केंद्र ने यह भी दलील दी कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और सहमति से बने समलैंगिक संबंधों से जुड़े पिछले फैसले 'संवैधानिक नैतिकता' की व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित थे और इन्हें सार्वभौमिक कानूनी मानक नहीं माना जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई जारी है और इसके परिणाम का देश भर में दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

हरियाणा में न्यूनतम वेतन में 35% बढ़ोतरी, मजदूरों को बड़ी राहत

हरियाणा में न्यूनतम वेतन में 35% बढ़ोतरी, मजदूरों को बड़ी राहत****चंडीगढ़, 9 अप्रैल:** हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नए निर्णय के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को करीब ₹15,220 प्रति माह वेतन मिलेगा, जो पहले से काफी अधिक है। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ उद्योग संगठनों ने उत्पादन लागत बढ़ने की चिंता भी जताई है।

मोहाली में बनेगा ₹250 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पंजाब सरकार ने मोहाली के आईटी सिटी क्षेत्र में ₹250 करोड़ की लागत से आधुनिक मल्टीपर्पज एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में निवेश, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। सरकार के अनुसार इस प्रोजेक्ट से 15,000 से 25,000 तक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, जिससे स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलेगा।

भारतीय सेना के जवानों के परिवारों के लिए आकाश एजुकेशन की विशेष छात्रवृत्ति योजना

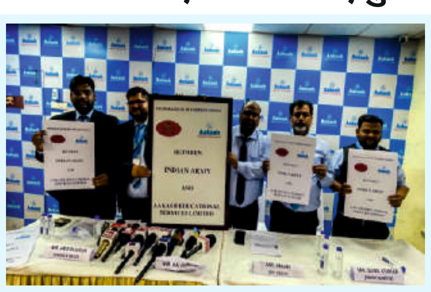

पटियाला: आकाश एजुकेशन ने भारतीय सेना के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए इंडियन आर्मी के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस समझौते के तहत देशभर में आकाश के केंद्रों पर पढ़ने वाले सेना कर्मियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी।एमओयू पर इंडियन आर्मी के कर्नल (सेरेमोनियल एंड वेलफेयर) और आकाश एजुकेशन के चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड डॉ. यश पाल ने हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत शहीद जवानों के आश्रितों को पंजीकरण शुल्क छोड़कर सभी फीस में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 20 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग सैनिकों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के बच्चों को भी पूर्ण शिक्षण शुल्क माफ किया जाएगा।सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को 20 प्रतिशत तक फीस में छूट दी जाएगी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के एमडी व सीईओ चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सैनिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और करियर परामर्श देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पंजाब के बढ़ते कर्ज पर सियासी घमासान, विपक्ष ने मांगा श्वेत पत्र

चंडीगढ़, 9 अप्रैल: पंजाब में राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि राज्य पर कुल कर्ज ₹4 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है और सरकार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता को राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कर्ज कितना है और उसका उपयोग किन योजनाओं में किया गया है।

विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मौजूदा कर्ज का बड़ा हिस्सा पिछली सरकारों की नीतियों का परिणाम है और वर्तमान सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए वित्तीय सुधारों पर काम कर रही है।

सरकार का दावा है कि विकास परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश जरूरी है, जिसके कारण कुछ हद तक कर्ज लेना पड़ा। वहीं विपक्ष का कहना है कि यदि वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह पंजाब की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।

Authorised Dealer/Distributor
Industrial Pumps
Mechanical Seals
Pump Spares

A. M. ENGINEERING
279, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh 160002
+91-9417455482
+91-9878316683
am.engg@yahoo.com
info@amengineering.in

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. RNI Number: PBBIL/26/A0779.